तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज अपील संख्या 73/21 राजेश कुमार बनाम श्रीमती विजय लक्ष्मी	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.3.2026	वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में नगर विकास न्यास भरतपुर के द्वारा भूखण्ड संख्या 404 योजना रूंधिया नगर भरतपुर में वहक रैस्पो0 श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी श्री हीरालाल के हक में राजस्थान नगरीय क्षेत्र (क्षेत्र भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अंतर्गत भूमि का पट्टा संख्या 466 दिनांक 7.9.2017 को जारी किया गया है। इस पट्टे के खिलाफ अपीलान्ट के द्वारा यह कहते हुये कि यह पट्टा विधि विरूद्ध तरीके से जारी किया गया है यह अपील पेश की गई है। दौराने बहस वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या –4 भरतपुर के दीवानी वाद संख्या 35/22 (सीआईएस नं0 52/22) राजेश कुमार शर्मा बनाम श्रीमती विजयलक्ष्मी में पारित निर्णय दिनांक 24.09.2025 की प्रमाणित प्रति पेश करते हुये निवेदन किया गया कि चूंकि प्रकरण में माननीय न्यायालय सिविल न्यायालय द्वारा रैस्पोडेन्ट विजयलक्ष्मी के हक में निर्णय पारित किया जाकर अपीलान्ट/वादी राजेश कुमार शर्मा के दीवानी दावे को खारिज किया जाकर रैस्पोडेन्ट लक्ष्मीदेवी के हक में जारी अपीलाधीन पट्टा संख्या 466 दिनांक 7.9.2017 रजिस्टर्ड दिनांक 22.9.2017 को विधि सम्मत मानते हुये यथावत रखा गया गया है। ऐसी स्थिति में इस अपील का अब कोई औचित्य नहीं रहता है इसलिऐ इस अपील को इसी स्तर पर खारिज किया जावे। इसके अलावा वकील रैस्पाडेन्ट संख्या 3 की ओर से न्यायिक दृष्टान्त 2021(1) डीएनजे पेज 186 पेश करते हुये कथन किया कि चूंकि पट्टा रजिस्टर्ड हो चुका है लिहाजा रजिस्टर्ड पट्टे के खिलाफ अपीलीय सुनवाई क्षेत्राधिकार केवल सिविल कोर्ट को ही प्राप्त है इसलिऐ यह अपील खारिज की जावे। चूंकि प्रकरण में अपीलान्ट राजेश कुमार द्वारा उक्त अपीलाधीन पट्टा संख्या 466 दिनांक 07.09.2017 रजिस्टर्ड दिनांक 22.09.2017 को खारिज कराने हेतु घोषणात्मक दावा माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संख्या –4 भरतपुर के समक्ष पेश किया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा दीवानी वाद संख्या 35/22 राजेश कुमार शर्मा बनाम श्रीमती विजयलक्ष्मी में पारित निर्णय दिनांक 24.9.2025 से खारिज किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह अपील माननीय सिविल न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.9.2025 की रोशनी में इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बादपूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे संभागीय आयुक्त भरतपुर	